

अंचल कार्यालय, मेहरमा (गोड्डा)

आदेश-फलक

आदेश संख्या- 52/16-17

आदेश का प्रकार - सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त जमाबंदी को रद्द/संशोधन करने संबंधी

सरकारी भूमि बंदोबस्त रैयत का नाम- प्रमोद हरिजन

पिता/पति- नैपाल हरिजन

मौजा परसा

थाना नम्बर- 12

अंचल- मेहरमा

जमाबंदी नम्बर- 54/15

दाग नम्बर- 368/15

रकबा- 00-03-0040

तिथि	आदेश
19.10.16	मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 2074/रफ दिनांक 13.05.2016 एवं भूमि सुधार उपसमार्हणी, गोड्डा के पत्रांक 264/भूखु गोड्डा दिनांक 18.05.2016 एवं अपर समार्हणी, गोड्डा के पत्रांक 1109/रफ दिनांक 26.08.2016 के द्वारा सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से सरकारी भूमि का कराए गए अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती को अभियान चला कर बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा- 4 (h) के तहत विधिवत सुनवाई करते हुए रद्द करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के ज्ञापक 466/रफ दिनांक 22.06.2016 एवं ज्ञापक 688/रफ दिनांक 07.09.2016 के द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से सरकारी भूमि का अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती से संबंधित मौजावार/हल्कावार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त के आलोक में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सह भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त रैयत प्रमोद हरिजन पिता/पति- नैपाल हरिजन मौजा- परसा को उनके दावे से संबंधित सभी प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक 28.10.16 को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। लेखापित। अंचल अधिकारी मेहरमा। अंचल अधिकारी मेहरमा।

28.10.16

अभिलेख उपस्थापित / नोटिसा में केठक, अभिलेख
दिनांक 03.11.16 को उपस्थापित करें।
लेखापित

अंश
मेहरमा

अंश अधिकारी
मेहरमा

23/3/2023

अभिलेख उपस्थापित। वादी को उनके
दावे के संबंध में प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक 10/04/2023
को अधोदस्ताक्षरी के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु सूचना दें।
लेखापित

अंश अधिकारी
मेहरमा।

अंश अधिकारी
मेहरमा।

21/06/2023

अभिलेख उपस्थापित। वादी को उनके दावे
के संबंध में प्रमाण/सही कागजात के साथ
दिनांक 01/7/23 को अधोदस्ताक्षरी के समक्ष
अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत

करें।
अंश अधिकारी
मेहरमा।

अंश अधिकारी
मेहरमा।

01/7/23

अभिलेख उपस्थापित। नोटिसा कागजात -
अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत।
अभिलेख 12/7/23 को रखें।
अंश अधिकारी -
मेहरमा।

12/12/19 अमिलेख उपस्थित/वादी प्रमोद लामा, पे०
नेपाल लामा, मोमा-पासा का संदेहात्मक
वैदेशिकता का मजबूत प्रमाण के आधार पर,

कार्यवाही परामर्श वादी को गोपनीय
द्वारा प्रतिकवेदकता का गुण दाता के म-
दी जांच दो।

आमिलेख दिनांक 19/12/19 को प्राप्त
हो। लेखाफिर

अमिलेख

अमिलेख
पे 19

20/12/19 अमिलेख उपस्थित/वादी उपस्थित, वादी
23/12/19 प्रमोद लामा-पे०-नेपाल लामा-मोमा-
पासा नः 12 का प्रतिकवेदकता संबंधी पत्र
का प्रमाण प्रमाणित सत्यता का आवेदन पत्र के
साथ सहायक मजबूत है। जिसका प्रतिकवेदकता
अमिलेख सं० 66184-85, जिसका मोमा-पासा-
नः 12, जिसका सं० 54/15, दिनांक 368/15, खता-
00-03-00 पर प्रमाणित मजबूत मोमा-पासा निम्न है
जिसका नाम गुजरी (सीट नं० 16-17 नं० निम्न है
जिसकी धना प्रमाणित सत्यता है संबंधित ^{मोमा} ^{पासा} का प्रमाण
अमिलेख निम्न के आधार पर है-इसके प्रमाणित सत्यता
विषय है, जिसके प्रमाणित सत्यता है मोमा-पासा नः 12
जिसका सं० 54/15, जिसका 368/15, जिसका 0.0623
पंजी 11 नं० 12 है कि प्रमाणित सत्यता है। प्रमाणित सत्यता
पत्र नेपाल लामा लामा वादी 19 पे 19 सत्यता है।
इस सत्यता वर्ष 2016-17 नं० निम्न है

आन: वारी के बाद को खीर

दिपा जा रहे)

नन्दुसा- कज्जुपुर्त रो/
1 वं अजिले 1 आगेरी वापुर्त वंदवा
जाती है)

कोटापित

५
२३/४५

५
२३/४५
अंतकअपुर्त
मह/५/